

आदेश

विषय: निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए धामरा बंदरगाह में खनिजों और अयस्कों के (ओडिशा) पूर्व लदान निरीक्षण करने के लिए अधिसूचित निरीक्षण अभिकरणों को अनुज्ञा प्रदान करने के संबंध में ।

निर्यात निरीक्षण परिषद इसके द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 की धारा 7 के तहत अधिसूचित निम्नलिखित निरीक्षण अभिकरणों को अपने वैधानिक आदेश में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र के अनुसार धामरा बंदरगाह में, जो भुवनेश्वर और पारादीप के करीब निकट है, खनिजों और अयस्कों के निरीक्षण करने के लिए इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि तक अधिकृत करती है बशर्ते कि ईआईसी आईएआरएस 2012 के तहत धामरा बंदरगाह के लिए कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए निरीक्षण अभिकरण आवेदन प्रस्तुत करता है ।

अभिकरण का नाम	तिथि
मेसेर्स एसजीएस इंडिया प्रा.लि.,एमयु- 33 , मधुबन मार्केट कोम्पलेक्स, मधुबन, पारादीप -754142	दिनांक - 02.08.2014 समाप्ति तिथि : 01.08.2017
मेसेर्स इन्स्पैक्ट्रेट ग्रिफिथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचआईजी -34, गौरव बिहार, मधुबन, पारादीप	दिनांक - 25.10.2014 समाप्ति तिथि : 24.10.2017
मेसेर्स मित्रा एस.के.प्राइवेट लिमिटेड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, एचबी-44, मधुबन, पारादीप, जिला-जगतसिंहपुर, ओडिशा-754142	दिनांक - 13.07.2015 समाप्ति तिथि : 12.07.2018

यह भारत सरकार के राजस्व की हानि को रोकने और निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी किया जाता है ।

(डॉ.एस.के.सक्सेना)

प्रतिलिपि प्रेषित : आयुक्त, सीमा-शुल्क (निवारण), केंद्रीय राजस्व भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर-751004, ओडिशा, भारत।